तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना-पत्र/टीए/1265/2017/जयपुर रामा बनाम गणेश	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः

श्री राकेश अरोड़ा, अभिभाषक प्रार्थी

श्री दीपक पारीक, अभिभाषक प्रार्थना-पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुतकर्ता

आदेश

दिनांक20-6-2022

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस प्रार्थना-पत्र आदेश 1 नियम 10 व सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता दिनांक 11-4-2022 पर सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रा0 पत्र प्रस्तुतकर्ता आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर बहस करते हुए तर्क दिया कि विवादित आराजी में से खसरा नंबर 152 रकबा 1.2013 हेक्टेयर व खसरा नंबर 153 रकबा 2.0358 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.2371 हेक्टेयर में से 5/8 हिस्सा की भूमि श्रीमति सुनीता ढीसा पत्नि स्व0 मनेन्द्र के नाम दर्ज रही जिसको प्रार्थीगण ने दिनांक 28-3-2022 को खरीद कर लिया। जिसका विक्रय पत्र तस्दीक किया जा चुका है जिससे प्रार्थीगण का उक्त आराजी में हक व हिस्सा निहित है और हक व हिस्सा निहित होने से प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक व उचित पक्षकार है । प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रकरण में कोई विवाद नहीं है न ही उक्त प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी ने जिससे आराजी खरीदी उसको पक्षकार कायम किया न ही प्रार्थीगण को प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार कायम किया है। इस कारण प्रार्थीगण अपने विधिक हक व अधिकार से वंचित हो गए है। अतः प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया जाकर पारित स्थगन आदेश से प्रार्थीगण के हक अधिकारों एवं खातेदारी की उक्त आराजी को स्थगन से मुक्त किए जाने बाबत आदेश दिए जावें । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में ए.आई.आर. 1999 पृष्ठ 976, डी.एन.जे. 2019 पृष्ठ 65, आर.बी.जे. 2012 पृष्ठ 506, आर.आर.टी. 2018(2) पृष्ठ 845, आर.बी.जे. 2021 पृष्ठ 647, 286, 610 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए ।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र पर जबाव देते हए तर्क दिया कि प्रार्थी आवश्यक पक्षकार नहीं है न ही इसके हित इससे प्रभावित होते है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में स्थगन होने के बाबजूद भी क्रय किया है। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना–पत्र/टीए/1265/2017/जयपुर रामा बनाम गणेश	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिनियम के प्रार्थना–पत्र को पुनः नम्बर पर लिए जाने बाबत प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 9 के विरूद्ध लम्बित है। मूल वाद में पक्षकार के रूप में सम्मिलित हुए बिना विविध प्रार्थना–पत्र में पक्षकार संयोजित किया जाना न्यायोचित नहीं है न ही राजस्व वाद में पक्षकार के रूप में सम्मिलित हुए बिना विविध प्रार्थना–पत्र में अजनबी क्रेता को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जा सकता है । इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10सीपीसी प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि पर सहायक कलेक्टर द्वारा दिनांक 16–7–2015 को विवादित आराजी खसरा नंबर 238 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 152 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 153 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 222 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, 223 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा , खसरा नंबर 226 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा पर स्थगन आदेश पारित किया था । उसके बाद प्रार्थना–पत्र दिनांक 3–3–2017 को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा बाजदायरी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया किन्तु उसका निस्तारण नहीं किया जा रहा है । इस कारण राजस्व मण्डल में धारा 221 के तहत प्रार्थना–पत्र शीघ्र निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया गया । दौराने निगरानी एक प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी बाबत पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत किया गया । व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 1 नियम 10(2) में निम्न प्रावधान है– **(2) Court may strike out or add parties-** The Court may at any stage of the proceedings, either upon or without the application of either party, and on such terms as may appear to the Court to be just, order that the name of any party improperly joined, whether as plaintiff or defendant, be struck out, and that the name, of any person who ought to have been joined, whether as plaintiff or defendant, or whose presence before the Court may be necessary in order to enable the Court effectually and completely to adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit, be added. इस प्रावधान से स्पष्ट है कि जहां न्यायालय यह समझता है कि	

न्याय के निपटारे के लिए किसी को वादी या प्रतिवादी बनाया जाना आवश्यक है तो उन्हें न्यायालय पक्षकार बनाने का आदेश दे सकता है। यह न्यायालय का स्वविवेकाधिकार है कि वह किसी प्रकरण में पक्षकार के नाम को काट सकेगा एवं जोड सकेगा ।

इस संबंध में ए.आई.आर. 1999 पृष्ठ 976 पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत प्रतिपादित किया है कि–

"Civil P.C. (5 of 1908) O.1, R. 10 Necessary parties- Suit by appellants against her sons for decree for maintenance and creation of charge over ancestral properties- Interim injunction granted by Court restraining sons/respondents from alienating property-property, however sold by one of the respondents-purchasers are necessary parties to the suit-Their impleadment is necessary for deciding questions whether sales were committed in contempt and disregard of injunction-And, whether purchasers were bonafied transferees - Multiplicity of suit can be avoided."

इसी प्रकार डी.एन.जे.(एससी) 2019 पृष्ठ 65 पर यह अभिमत प्रतिपादित किया है कि–

"Civil Procedure Code 1908-O.1, R. 10- Application to implead the appellants in the suit as a party on the basis of sale deeds- Respondents Nos 5 and 6 resisted the application since the sale deed are fraudulent-Trial Court dismissed the application-Plaintiffs/respondent Nos 1 to 4 filed the suit for declaration of title- Appellants are the subsequent purchasers- Purchase by the appellants is bona fide or not, can be decided at the trial on the basis of the evidence-Held, Orders set aside and the application is allowed to file the written statement."

उक्त न्यायिक दृष्टांतों एवं प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य प्रार्थी द्वारा भी विवादित भूमि का दिनांक 28–3–2022 को क्रय किया है एवं उसका विक्रय पत्र भी तस्दीक हो चुका है जिससे प्रार्थी एक हितबद्ध केता की श्रेणी में आता है एवं उसके सुनवाई के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है । इस आदेश 1 नियम 10

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना–पत्र/टीए/1265/2017/जयपुर रामा बनाम गणेश	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सीपीसी प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने से किसी पक्षकार के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ना परिलक्षित नहीं होता है बल्कि न्याय निर्णयन में सहायक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार योग्य है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार कर श्रीमति रेनू गुर्जर पत्नी रमेश गुर्जर एवं भानू गुर्जर पत्नि महेश गुर्जर समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील फागी जिला जयपुर को बतौर अप्रार्थी के रूप में संयोजित कर पक्षकार बनाया जाता है । स्थगन बाबत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश में इस स्तर पर किसी तरह का परिवर्तन किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है । प्रार्थी संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करे । **पत्रावली दिनांक 30–6–2022को किसी भी एकलपीठ के समक्ष पेश हो।** **(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)** **सदस्य**	